सहायक नेत्र मालट

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 05.02.2016 का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः–संलग्न है।

सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा मिशन की अवधारणा एवं उद्देश्यों आदि से उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया। समिति के संयोजक सदस्य एवं राज्य मिशन निदेशक द्वारा प्रथम कार्यकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी। तदोपरान्त राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रदेश में क्रियान्वयन के संबंध में हुई प्रगति का घटकवार प्रस्तुतीकरण किया गया।

मिशन निदेशक द्वारा अद्यतन प्रगति के प्रस्तुतीकरण में कार्ययोजना के सापेक्ष मिशन के विभिन्न उपघटकों के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की अद्यतन प्रगति के संबंध में अवगत कराया गया तथा समिति के समक्ष एजेण्डा बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही की अद्यतन प्रगति प्रस्तुत की गयी, जिसका संज्ञान लेते हुये समिति द्वारा एजेण्डावार कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देश/निर्णय का विवरण निम्नवत् है::–

एजेण्डा विवरण	कार्यकारी समिति द्वारा दिये गये निर्देश/निर्णय
1	2
एजेण्डा बिन्दु संख्या–1 : राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 09.02.2015 में लिये गये निर्णयों की प्रगति की पुष्टि/स्थिति।	समिति द्वारा प्रगति का अवलोकन करते हुए संज्ञान लिया गया।
एजेण्डा बिन्दु संख्या–2 : राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के वार्षिक कार्य योजना 2015–16 का अनुमोदन। 1. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार की अपेक्षानुसार निर्धारित प्रारूप पर सूडा, उ0प्र0 द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हेतु वार्षिक कार्य योजना 2015–16 को तैयार कर उपलब्ध कराई गई। 2. उक्त के संबंध में भारत सरकार के पत्र संख्या–के–14014/54/2013–यू0पी0ए0/एफ0टी0एस0 : 10191, दिनांक 13 अगस्त, 2015 द्वारा प्रदेश के वर्ष 2015–16 हेतु लक्ष्यों को अनुमोदित किया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–	समिति द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

भौतिक लक्ष्य		
घटक	विवरण	लक्ष्य
सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास	स्वयं सहायता समूहो का गठन	20000
	स्वयं सहायता समूहो को रिवाल्विंग फंड	10000
	शहरी आजीविका केन्द्रो की स्थापना	40
कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार	प्रशिक्षित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या	150000
स्वरोजगार	व्यक्तिगत एवं समूह में उद्यम स्थापना हेतु	25000

कार्यक्रम	बैंको से ऋण उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या	
शहरी बेघरों हेतु आश्रय	निर्मित किये जाने वाले शेल्टरों की संख्या	40
शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता	पथ विक्रेताओं हेतु सर्वे किये जाने वाले शहरों की संख्या	14
वित्तीय आवंटन– 164.48 (रूपये लाख में)		

3. तदनुसार उक्त प्रस्तर–2 पर समिति का अनुमोदन अपेक्षित है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–3 : राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रभावी एवं तीव्र क्रियान्वयन हेतु सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति के गठन का अनुमोदन।

1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना एवं शहरी पथ विक्रेताओं की सहायता योजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों से प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु गाइडलाइन के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या–833/69–1–14–14(104)/2013 दिनांक 23.05.2014 एवं 834/69–1–14–14(104)/2013 दिनांक 23.05.2014 द्वारा "राज्य परियोजना स्वीकृति समिति" का गठन निम्नानुसार किया गया है:–
   1. प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग – अध्यक्ष
   2. सचिव, नगर विकास विभाग – सदस्य
   3. सचिव, नियोजन विभाग – सदस्य
   4. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। – सदस्य
   5. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग। – सदस्य
   6. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि – सदस्य
   7. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 – सदस्य
   8. वित नियंत्रक, सूडा/राज्य मिशन, एन0यू0एल0एम0। – सदस्य
   9. राज्य मिशन निदेशक, एन0यू0एल0एम0। – संयोजक सदस्य
2. मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उक्त गठित राज्य परियोजना स्वीकृति समिति को निम्नलिखित कार्यों हेतु अधिकृत किये जाने पर विचार विमर्श कर निर्णय लेने का प्रस्ताव:–
   1. शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना मा0 सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–55 एवं 572/2003 से आच्छादित है एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा रही निरन्तर समीक्षा के दृष्टिगत प्रदेश में शहरी बेघरों हेतु निर्मित किये जा रहे शेल्टर्स के निर्माण कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा कर गति प्रदान करना।
   2. मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर शासनादेश संख्या–833/69–1–14–14(104)/2013 दिनांक23.05.2014 एवं 834/69–1–14–14(104)/2013 दिनांक 23.05.2014 द्वारा सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य परियोजना स्वीकृति समिति को शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जा रहे शेल्टर के निर्माण कार्य की समीक्षा एवं संचालन व्यवस्था के साथ ही NULM की निरन्तर समीक्षा हेतु अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही निर्देश दिये गये कि उक्त समिति द्वारा की जाने वाली समीक्षा में मिशन के प्रदेश में क्रियान्वयन में बैंकों से आ रही समस्याओं के तत्काल निस्तारण हेतु समन्वयक SLBC को विशेष आमन्त्री के रुप में आमंत्रित किया जाय।

-3-

एवं स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मिशन शहरों में बैंको से आ रही समस्याओं की समीक्षा एवं निस्तारण।

3. मिशन के सभी घटकों के प्रगति की समय–समय पर समीक्षा कर गति प्रदान करना।

3. इस प्रकार शासनादेश के माध्यम से गठित उक्त समिति में समन्वयक SLBC को विशेष आमंत्री के रुप में सम्मिलित कर राज्य परियोजना स्वीकृति समिति को उल्लिखित कार्यों हेतु अधिकृत किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन अपेक्षित है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–4 : मिशन के घटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय की योजना (एस0यू0एच0) के अन्तर्गत आश्रय गृह (शेल्टर होम) निर्माण/उच्चीकरण हेतु स्वीकृत परियोजनाओं का अनुमोदन।

1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक शहरी बेघरों (Urban Homeless) के लिए आश्रय योजना के अन्तर्गत शहरी बेघरों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त स्थायी आश्रय गृह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला मुख्यालयों के नगरों और वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार 01 लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगरों जिनकी संख्या 82 है, में आश्रय गृह निर्माण की योजना कार्यान्वित की गई है। इस योजना में नये आश्रय गृह के निर्माण के अतिरिक्त पूर्व से विद्यमान आश्रय गृहों के नवीनीकरण(Refurbishment) का प्राविधान है।
2. राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा अद्यतन स्वीकृत 93 परियोजनाओं में 42 परियोजनाएं विगत कार्यकारी समिति की बैठक 09.02.2015 को अनुमोदित की जा चुकी है। जिसका विवरण निम्नवत है:–

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत अद्यतन परि0 की संख्या	राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का भूमि विवाद/तकनीकी कारणों से निरस्त की गई परि0 की संख्या	शेष स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	विभिन्न स्तरों पर निर्माणाधीन कार्य प्रारम्भ परियोजनाओं की संख्या	निर्माण कार्य अनारम्भ परियोजनाओं की संख्या
93	11	82	58	24

3. उपरोक्त के क्रम में 11 निरस्त की गई परियोजनाओं (जिसमें 08 परियोजनाएं प्रथम कार्यकारी समिति से अनुमोदित हैं तथा 03 परियोजनाओं पर अनुमोदनोपरान्त निरस्त किये जाने का अनुमोदन निवेदित) का अनुमोदन।
4. उक्त के साथ ही विगत कार्यकारी समिति की बैठक के उपरान्त अद्यतन स्वीकृत अवशेष 48 परियोजनाओं पर स्वीकृति के उपरान्त समिति का अनुमोदन निवेदित है।
5. तद्नुसार उक्त प्रस्तर 3 और 4 पर समिति का अनुमोदन अपेक्षित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त कार्यकारी समिति की विगत बैठक 09.02.2015 के उपरान्त राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा निरस्त की गई 11 परियोजनाओं एवं नई स्वीकृत की गई 48 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया। साथ ही निर्माणाधीन परियोजनाओं पर निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने एवं अनारम्भ परियोजनाओं पर तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–5 : मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत इम्पैनल्ड सन्दर्भ संस्थाओं के माध्यम से गठित किये जा रहे स्वयं सहायता समूहों के बैंकों में खाता खोलने एवं बैंक लिंकेज तथा मिशन के घटक स्व–रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तिगत/समूह में ऋण प्रदान करने में आ रही समस्याओं के

समिति द्वारा अवलोकन किया गया तथा संज्ञान लेते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा SLBC समन्वयक को बैंको से समन्वयन कर

दृष्टिगत SLBC के माध्यम से बैंकों को निर्देशित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन।

1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत शहरी गरीबों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान हेतु स्वयं सहायता समूहों का गठन कर बैंकों में खाता खोलकर आपसी लेनदेन करना तथा प्रभावी लेनदेन किये जाने हेतु बैंको से लिंकेज के माध्यम से क्रेडिट प्राप्त करने का प्रावधान है। उक्त SHG का गठन टेण्डर के माध्यम से चयनित रिसोर्स आर्गनाइजेशन के माध्यम से चयनित शहरों में शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा के द्वारा कराया जा रहा है।

2. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के इस उपघटक के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित सभी 82 शहरों हेतु भारत सरकार द्वारा 20,000 स्वयं सहायता समूहों के गठन का लक्ष्य निर्धारित है जिसके सापेक्ष दिसम्बर 2015 तक 5654 SHG का गठन उपरान्त बैंको में खाता खोलने की कार्यवाही पूर्ण हो पायी है। शहरों की सूचना के आधार पर काफी अधिक संख्या में स्वयं सहायता समूहों का गठन हो गया है। गठित SHG के बैंको में खाता खुलवाने में अधिक समय लगने एवं बैंको द्वारा समूहों के खाता खोलने में अनावश्यक विलम्ब करने के फलस्वरूप SHG को क्रेडिट लिमिट देने में अधिकांश शहरों में समस्याओं के दृष्टिगत प्रगति अपेक्षा के अनुरुप नहीं है।

3. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु व्यक्तिगत ऋण एवं समूह ऋण का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत व्यक्तिगत ऋण रु0 2.00 लाख तक तथा समूह ऋण रु0 10.00 लाख तक दिये जाने का योजनान्तर्गत प्रावधानित है, जिसमें 7% ब्याज लाभार्थी से तथा शेष ब्याज सब्सिडी से शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, डूडा के द्वारा बैंको की मांग के अनुरुप त्रैमासिक आधार पर दिये जाने का प्रावधान है। इस उपघटक के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति का विवरण निम्नवत है:-

ऋण का प्रकार	भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य	प्रगति				
		बैंकों को प्रेषित ऋण प्रस्तावों की संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण प्रस्तावों की संख्या	बैंको द्वारा ऋण अवमुक्त(प्रस्तावों के सापेक्ष) की संख्या	बैंको में लम्बित प्रस्ताव	
					स्वीकृति हेतु	अवमुक्त हेतु
1	2	3	4	5	6	7
व्यक्तिगत ऋण	21000	22371	5421	4253	15782	1168
समूह ऋण	4000	478	217	74	3640	143

4. उल्लेखनीय है कि स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभार्थियों का चयन टास्क फोर्स के माध्यम से किया जाता है। टास्क फोर्स अपर जिलाधिकारी/परियोजना निदेशक, डूडा/CPO की अध्यक्षता में गठित है जिसमें लीड बैंक एवं शहर के मुख्य बैंक के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं।

5. तदनुसार प्रदेश हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु SLBC के माध्यम से शहरवार आवंटित लक्ष्यों को बैंको को आवंटित किये जाने एवं निरन्तर अनुश्रवण हेतु संस्थागत वित्त में लम्बित प्रकरण का निस्तारण तत्काल कराने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही निर्देश दिये गये कि सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में बैंकर्स की बैठक आयोजित कर प्रकरण का निस्तारण किया जाय।

उक्त के साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि मिशन के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों की निरन्तर मॉनिटरिंग SLBC द्वारा की जाये तथा बैंकों से आ रही समस्याओं का निराकरण कराया जाये।

-5/

निरन्तर सघन मानीटरिंग हेतु उपसमिति के गठन का अनुमोदन निवेदित है। 6. तदनुसार उक्त प्रस्तर 5 पर समिति का अनुमोदन अपेक्षित है।	
एजेण्डा बिन्दु संख्या–6 : मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत संचालित शहरी आजीविका केन्द्र को आत्म निर्भरता के सिद्धान्त पर सचालित किये जाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से दैनिक सेवाएं सी0एल0सी0 के माध्यम से लिए जाने/कार्य दिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन। 1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत शहरी गरीबों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी तथा कुशल कामगारों को शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) में पंजीकृत कर आम शहरवासियों को दैनिक मूलभूत सेवाएं जैसे– प्लम्बर, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, नर्स, गाड़ी, टैक्सी, ड्राइवर, कम्प्यूटर'आपरेटर आदि विभिन्न सेवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के तहत शहरी गरीबों को रोजगार दिये जाने तथा आम शहरवासियों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। 2. योजनान्तर्गत शहरी आजीविका केन्द (CLC) संचालन हेतु केवल रु0 10.00 लाख तीन किश्तों में दिये जाने का प्रावधान है तथा इसी प्रावधान के अन्तर्गत शहरी आजीविका केन्द (CLC) को आत्मनिर्भर (Sustain) करना है। 3. शहरी आजीविका केन्द्र के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु पूर्व में मुख्य सचिव से प्राप्त निर्देशों के क्रम में राज्य शहरी आजीविका मिशन कार्यालय, सूडा स्तर पर टोल फ्री नम्बर 1800 1800 155 के साथ काल सेन्टर की स्थापना की जा चुकी है। उक्त टोल फ्री नम्बर का शुभारम्भ विगत दिनांक 14.01.2016 को मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा किया गया है। जिसका विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। शहरों द्वारा प्रचार–प्रसार कर आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त पर शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) को संचालित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है, परन्तु नई अवधारणा के दृष्टिगत विभिन्न सरकारी विभागों के सहयोग के बिना शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) को आत्मनिर्भर बनाया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। 4. वर्तमान में प्रदेश के 36 शहरों हेतु 46 शहरी आजीविका केन्द (CLC) स्वीकृत हैं। 5. इस प्रकार शहरी आजीविका केन्द (CLC) के बेहतर आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त पर संचालन हेतु निम्नांकित प्रस्तावों का अनुमोदन अपेक्षित है:– • विभिन्न सरकारी विभागों/संस्थानों/प्रतिष्ठानों/ अस्पतालों को शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाएं लिये जाने के संबंध में विचार विमर्श एवं निर्णय। • E-Suvidha केन्द्रों का संचालन शहरी आजीविका केन्द्र	समिति द्वारा अवलोकन किया गया तथा विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तावित कार्यो को शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) के माध्यम से कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये कि विभिन्न विभागों द्वारा आउट–सोर्स के माध्यम से ली जा रही सेवाओं को सी0एल0सी0 के माध्यम से लिए जाने हेतु शासनादेश निर्गत कर शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) का विधिवत संचालन कराते हुए आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त पर तेजी से कार्य किया जाये। शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु राज्य स्तर से शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) का विज्ञापन विभिन्न समाचार पत्रों एवं प्रदेश के सभी रेडियो स्टेशनों से FM रेडियो के माध्यम से भी कराया जाये। जिसमें राज्य शहरी आजीविका मिशन कार्यालय में स्थापित कॉल सेन्टर के टोल फ्री नम्बर 1800 1800 155 का भी प्रचार–प्रसार किया जाये, साथ ही राज्य स्तर से ब्रोशर छपवाकर भी प्रचार प्रसार किया जाय।

-6/

(CLC) के माध्यम से बिना बैंक गारण्टी के शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) को दिये जाने पर विचार विमर्श एवं निर्णय। • विभिन्न विभागों में कम्प्यूटर आपरेटर, माली, सफाई कर्मी आदि मानव संसाधन शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) के माध्यम से लिये जाने के संबंध में विचार विमर्श एवं निर्णय। • पार्को का अनुरक्षण (रखरखाव), कतिपय वार्डों में सफाई कार्य, घरों से कूड़ा उठाना, मार्ग प्रकाश व्यवस्था आदि आउट–सोर्स के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों को शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) के माध्यम से कराये जाने के संबंध में विचार विमर्श एवं निर्णय। 6. तदनुसार उक्त प्रस्तर–5 पर समिति का अनुमोदन अपेक्षित है।	
एजेण्डा बिन्दु संख्या–7 : शहरी गरीबों को गतिशील कर स्वयं सहायता समूहों एवं उनके फेडरेशन्स में गठित किये जाने हेतु पूर्व में संचालित एस0जे0एस0आर0वाई0 के अन्तर्गत गठित CDS की अध्यक्षा की व्यक्तिगत क्षमता के दृष्टिगत सन्दर्भ संस्था के रुप में सम्बद्ध किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन। 1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत शहरी गरीबों/महिलाओं को गतिशील कर स्वयं सहायता समूहों में गठित कर बचत, आपसी लेन–देन आदि कार्यों हेतु सक्षम किया जाना प्रावधानित है। योजनान्तर्गत SHG का गठन सन्दर्भ संस्थाओं के माध्यम से कराया जा रहा है। सन्दर्भ संस्थाओं को SHG एवं उनके फेडरेशन्स का गठन व प्रशिक्षण के साथ ही 02 वर्षों तक हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट हेतु रु0 10,000/– प्रति SHG का भुगतान किया जाना है। 2. प्रदेश में SHG गठन आदि कार्यों के सहयोग हेतु दो बार टेण्डर कर वर्तमान में 46 स्वयंसेवी संस्थायें इम्पैनल्ड हैं, जो SHG गठन का कार्य कर रही हैं। इसके उपरान्त भी SHG गठन की प्रगति अपेक्षा के अनुरुप न होने के कारण SHG गठन का कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या– ई0 14012/3/2014–यू0पी0ए0 दिनांक 15.09.2015 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में NULM के स्थान पर पूर्व में संचालित SJSRY के अन्तर्गत गठित की गई CDS का सन्दर्भ संस्था के रुप में सहयोग लेने का निर्णय लिया गया है। 3. इस प्रकार प्रदेश में SHG गठन आदि कार्यों हेतु CDS को सन्दर्भ संस्था के रुप में गाइड लाइन के अनुसार 50 SHG गठन का कार्य उनकी क्षमताओं का शहर स्तर पर आंकलन कर CDS की सेवाएं लेने हेतु शहरों के माध्यम से SULM सूडा के पत्र संख्या–066/241/NULM/तीन/2001(SM&ID-CDS-RO)दिनांक07.01.16 के माध्यम से अधिकृत किया गया है। 4. तदनुसार CDS की सेवाएं सन्दर्भ संस्था के रुप में उपरोक्तानुसार लिए जाने के निर्णय के प्रस्ताव का अनुमोदन अपेक्षित है। 5. तदनुसार उक्त प्रस्तर–4 पर समिति का अनुमोदन अपेक्षित है।	समिति द्वारा अवलोकन किया गया तथा विचार–विमर्श के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

-7/

एजेण्डा बिन्दु संख्या–8 : भारत सरकार के पत्रांक F.No K-14011/7/2013-UPA FTS-9789 दिनांक 03.08.2015 द्वारा सामाजिक - गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के प्रस्तर 17.3 में संशोधनोपरान्त अतिरिक्त जोड़े गये प्रस्तर 17.3A के अनुसार एन0आर0एल0एम0, नाबार्ड व किसी भी सरकारी विभाग में इम्पैनल्ड होने पर सीधे सम्बद्ध किये जाने के प्रावधान के दृष्टिगत नाबार्ड एवं उ0प्र0 भूमि सुधार निगम से प्राप्त उनके साथ कार्य कर रही संस्थाओं को सम्बद्ध किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन। 1. भारत सरकार द्वारा उक्त संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में SULM सूडा उ0प्र0 द्वारा सभी शहरों को सन्दर्भ संस्था की सेवाएं उपलब्ध कराने एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सूडा के पत्र संख्या–3073 दिनांक 04.11.2015 एवं पत्र संख्या– 3164/241/NULM/तीन/2001(SM&ID) दिनांक 18.11.2015 से नाबार्ड एवं उ0प्र0 भूमि सुधार निगम से उनके यहॉ इम्पैनल्ड संस्थाओं की सूची मांगी गई थी। 2. नाबार्ड एवं उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा ई–मेल दिनांक 09.12.2015 एवं 10.12.2015 द्वारा 30 एवं 20 संस्थाओं की सूची उपलब्ध करायी गयी, साथ ही ई–मेल एवं मोबाईल/फोन भी उपलब्ध कराया गया, जिसके उपरान्त राज्य शहरी आजीविका मिशन सूडा द्वारा पत्र संख्या–043/241/NULM/तीन/2015(SM&ID-RO-EMP) दिनांक 22.12.2015 के माध्यम से गाइडलाइन के अनुसार विवरण एवं प्रारुप विकसित कर ई–मेल उपलब्धता के आधार पर 46 संस्थाओं से प्रस्ताव मांगे गये थे। मांगे गये प्रस्तावों के सापेक्ष 14 संस्थाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें प्रथमतः अर्ह पायी गयी 13 संस्थाओं को कार्यालय ज्ञाप संख्या–094/241/NULM/तीन/2015(SM&ID-RO-EMP) दिनांक 22.01.2016 के माध्यम से इम्पैनल्ड किया गया है। 3. उक्त इम्पैनल्ड की गई 14 संस्थाओं में से उनके द्वारा आवंटित जिन शहरों में सन्दर्भ संस्था नहीं थी/लक्ष्य उपलब्धता के आधार पर 08 संस्थाओं को कार्यादेश संख्या–095/241/NULM/तीन/2015(SM&ID-RO-EMP) दिनांक 22.01.2016 द्वारा निर्गत किया गया है। 4. तदनुसार उक्त प्रस्तर–2 एवं 3 पर समिति का अनुमोदन अपेक्षित है।	समिति द्वारा अवलोकन किया गया तथा विचार–विमर्श के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।
एजेण्डा बिन्दु संख्या–9 : राज्य मिशन प्रबंधन ईकाई और शहर मिशन प्रबंधन ईकाई के अन्तर्गत प्रथम चरण में आउट–सोर्स एजेन्सी के माध्यम से प्रथम चरण में उपलब्ध कराये गये राज्य मिशन प्रबन्धकों, शहर मिशन प्रबन्धकों व सामुदायिक आयोजकों की सेवाएं लिए जाने का अवलोकन। 1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गाइडलाइन के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश के अनुक्रम में RFP के माध्यम से चयनित बाह्य संस्था XEAM VENTURES Pvt. Ltd. के द्वारा राज्य एवं शहर मिशन प्रबन्धकों तथा सामुदायिक आयोजकों की सेवाएं लिए जाने का प्रावधान दिया गया है। 2. प्रथम चरण में मिशन प्रबन्धकों एवं सामुदायिक आयोजकों हेतु	सनिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

शासन के पत्र संख्या–446/69–1–2015–14(104)/2013, दिनांक 27.05.2015 के माध्यम से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में प्रथम चरण में राज्य स्तर पर 06 तकनीकी विशेषज्ञ, शहर स्तर पर 05 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 15 शहरों हेतु 45 तकनीकी विशेषज्ञ, 03 लाख से 05 लाख जनसंख्या वाले 04 शहरों में 08 तकनीकी विशेषज्ञ तथा 03 लाख से कम जनसंख्या वाले 63 शहरों में 63 तकनीकी विशेषज्ञ अर्थात कुल 122 तकनीकी विशेषज्ञ (शहर मिशन प्रबन्धक) एवं शहर स्तर पर 200 सामुदायिक आयोजकों को आउटसोर्सिंग से रखे जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी।

3. मिशन प्रबन्धकों एवं सामुदायिक आयोजकों की सेवाएं ली जा रही है जिसका विवरण निम्नवत है:–

क0सं0	विवरण	स्वीकृत पदों की संख्या	चयनित एवं कार्यरत कर्मियों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	राज्य मिशन प्रबन्धक	06	05	सभी स्वीकृत पदों पर 06 राज्य मिशन प्रबन्धकों की नियुक्ति की गई थी, जिसके सापेक्ष 05 प्रबन्धक कार्यभार ग्रहण कर कार्य कर रहें हैं।
2.	शहर मिशन प्रबन्धक	122	98	75 शहरों में 98 प्रबन्धकों की नियुक्ति की जा चुकी है।
3.	समुदायिक आयोजक	200	152	75 शहरों में 152 सामुदायिक आयोजक की नियुक्ति की जा चुकी है।

4. तदनुसार उक्त प्रस्तर–2 पर समिति का अनुमोदन अपेक्षित है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–10 : मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार (ई0एस0टी0एण्ड पी0) के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों का असेसमेन्ट कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन रीजनल डायरेक्ट्रेट ऑफ् एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (RDAT) कानपुर के माध्यम से कराये जाने का अनुमोदन।

1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार(ई0एस0टी0एण्ड पी0) के अन्तर्गत शहर स्तरीय निविदा द्वारा इम्पैनल्ड कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा गाईडलाइन के अनुसार SDI योजनान्तर्गत MES आधारित पाठ्यक्रमों/कोर्सो पर प्रशिक्षणार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
2. संयुक्त सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता, भारत सरकार के अर्द्धशा0 पत्र–MSDE-10/2013–SDI/MES, दिनांक 08.07.2015 जो कि संयुक्त सचिव(यू0पी0ए0), आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार को संबोधित है, द्वारा ई0एस0टी0एण्डपी0 के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेंट हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
3. शासनादेश संख्या–736/1844/69–1–2015–14 (104)/13टीसी, दिनांक 10.08.2015 द्वारा कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार(ई0एस0टी0एण्ड पी0) के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों का असेसमेंट (प्रमाणीकरण) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय,

समिति द्वारा विचार–विमर्श के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

भारत सरकार के अधीन रीजनल डायरेक्ट्रेट आफ एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (RDAT), कानपुर के माध्यम से कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

4. मिशन निदेशक, राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा) उ0प्र0 एवं क्षेत्रीय निदेशक, RDAT, कानपुर के साथ ई0एस0टी0एण्ड पी0 के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेंट हेतु दिनांक 18.09.2015 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त संख्या–2670/241/एनयूएलएम/तीन/2014/EST&P-SDI, दिनांक 24.09.2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेंट किये जाने हेतु सूडा के पत्रांक–3103/241/एनयूएलएम/तीन/2014/EST&P(SDI)AB, दिनांक 06.11.2015 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं।

5. तदनुसार उक्त प्रस्तर–3 एवं 4 पर समिति का अनुमोदन अपेक्षित है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–11 : शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (एस0यू0एस0वी0) के अन्तर्गत मेरठ, सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर, फिरोजाबाद, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, इलाहाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद, झांसी एवं आगरा शहरों के शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु शहर स्तरीय निविदा के माध्यम से एजेन्सियों के चयन का अनुमोदन।

समिति द्वारा अवलोकन किया गया तथा विचार–विमर्श के उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना का प्राविधान है, जिसमें मिशन की सम्पूर्ण निर्धारित राशि का 5% तक की धनराशि इस मद में व्यय करने की व्यवस्था है। इस योजना में शहरी पथ विक्रेताओं के सर्वे, उन्हें परिचय पत्र देने, सिटी वेंडिंग प्लान तैयार करने, अवस्थापना सुधार के लिए डिटेल इम्पलीमेन्टेशन प्लान (D.I.P.) तैयार कराने हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने का उल्लेख है। इन कार्यों हेतु पारदर्शी प्रक्रिया से परामर्शदाता/एजेन्सी के चयन करने का प्राविधान है।

2. नगरीय निकायों द्वारा उक्त निर्धारित निविदा प्रक्रिया से चयनित कर राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा एजेन्सियों का अनुमोदन किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक	निकाय का नाम	एजेन्सी का नाम	न्यूनतम स्वीकृति दर (रू. प्रति वेंडर)
1	2	3	4	5
1	प्रथम बैठक दिनांक 21.05.2015	नगर निगम सहारनपुर	युग एसोसिएट, लखनऊ	195/–
2	द्वितीय बैठक दिनांक 30.06.2015	नगर निगम मेरठ	युग एसोसिएट, लखनऊ	204/–
3	तृतीय बैठक दिनांक 21.08.2015	नगर निगम लखनऊ	बायोटेक वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0 लि0, उन्नाव	150/–
4		नगर निगम कानपुर	स्टेसालिक लि0 कोलकाता	172/–
5		नगर निगम फिरोजाबाद	बायोटेक वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0 लि0, उन्नाव	215/–

-10/

6		न0प0प0 मुजफ्फरनगर	स्काई लाइन आइकान, प्रा0 लि0 हैदराबाद।	209/-
7		नगर निगम वाराणसी	बायोटेक वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0 लि0, उन्नाव	216/-
8	चतुर्थ बैठक दिनांक 01.12.2015	नगर निगम अलीगढ़	स्टेसालिक लि0, कोलकाता	197/-
9		नगर निगम मुरादाबाद	बायोटेक वेस्ट मैनेजमेंट, प्रा0 लि0 उन्नाव।	209/-
10		नगर निगम इलाहाबाद	एन0एफ0 इन्फ्राटेक, सर्विसेज प्रा0 लि0, नई दिल्ली।	165/-
11		नगर निगम गोरखपुर	स्काई लाइन आइकान, प्रा0 लि0 हैदराबाद।	184/-
12		नगर निगम गाजियाबाद	बायोटेक वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0 लि0, उन्नाव।	195/-
13		नगर निगम झांसी	रूद्राभिषेक इन्टरप्राइजेज, प्रा0 लि0, नोयडा।	144/-
14	पांचवी बैठक दिनांक 02.02.2016	नगर निगम आगरा	युग एसोसिएट, लखनऊ	152/-

3. तदनुसार उक्त प्रस्तर–2 पर समिति का अवलोकन/अनुमोदन अपेक्षित है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–12 : अभिनवी एवं विशेष परियोजनान्तर्गत वाराणसी एवं इलाहाबाद शहर हेतु अवाकयम परियोजना "Recycling Flower Waste in to Environmentally Friendly Products at Varanasi and Allahabad" के भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के अनुसार "सोसाइटी फार चाइल्ड डेवलेपमेन्ट" के माध्यम से क्रियान्वयन किये जाने का अनुमोदन।

1. भारत सरकार के पत्र संख्या–K-14015/1/2015-UPA/FTS-12299 दिनांक 17.11.2015 के माध्यम से प्रदेश के वाराणसी एवं इलाहाबाद हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक अभिनव एवं विशेष परियोजना के अन्तर्गत सोसाइटी फार चाइल्ड डेवलेपमेन्ट द्वारा प्रस्तुत परियोजना "AVACAYAM- recycling flower waste into environmentally friendly products at Varanasi and Allahabad." स्वीकृत की गई है।
2. सोसाइटी फार चाइल्ड डेवलेपमेन्ट की स्वीकृत परियोजना "AVACAYAM- recycling flower waste into environmentally friendly products at Varanasi and Allahabad के क्रियान्वयन हेतु गाइडलाइन के अनुसार प्रस्तावक संस्था SCD एवं सूडा, उ0प्र0 के मध्य दिनांक 12.10.2015 को अनुबन्ध निष्पादित किया गया है।
3. स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत सोसाइटी फार चाइल्ड डेवलेपमेन्ट को 1000 दिव्यांग एवं HIV से संक्रमित महिलाओं (600 वाराणसी एवं 400 इलाहाबाद) को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम रोजगार से सम्बद्ध किये जाने का प्रस्ताव है। परियोजनान्तर्गत मन्दिरों से प्राप्त वेस्ट फ्लॉवर से नये प्रोडेक्ट अगरबत्ती एवं गुलाल बनाने का प्रस्ताव है। परियोजना की कुल स्वीकृत धनराशि रु0 18,44,000/- है।

समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा प्रदेश के अन्य शहरों से भी अभिनवी परियोजनायें तैयार कराकर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

4. परियोजना के सुचारु रुप से संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.11.2015 को प्रथम किश्त के रूप में रु0 7,37,600/– अवमुक्त कर दिया गया है, जिसे SULM सूडा द्वारा CMMU डूडा वाराणसी एवं इलाहाबाद के माध्यम से SCD को अवमुक्त करा दिया गया है। परियोजनान्तर्गत कार्य प्रगति पर है।

5. तदनुसार उक्त प्रस्तर–1, 2, 3 व 4 पर समिति का अनुमोदन अपेक्षित है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या–13 : राज्य मिशन प्रबन्धकों, शहर मिशन प्रबन्धकों एवं सामुदायिक आयोजकों को दिये गये CUG मोबाईल नम्बर का अनुमोदन।

समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत आउट–सोर्स के माध्यम से रखे गये राज्य मिशन प्रबन्धकों, सिटी मिशन प्रबन्धकों एवं सामुदायिक आयोजकों को मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु CUG नम्बर के सिम दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त CMMU, डूडा को उपयोगार्थ एक कम्प्यूटर, कम्प्यूटर टेबल, प्रिन्टर, इन्टरनेट और शहर मिशन प्रबन्धकों एवं सामुदायिक आयोजकों की संख्या के अनुसार कुर्सी एवं मेज दिया गया है। उक्त पर आने वाले व्यय का भुगतान गाइडलाइन में प्रावधानित विभिन्न मदों हेतु धनराशि से दिया जा रहा है।
2. तदनुसार उक्त प्रस्तर–1 पर समिति का अनुमोदन अपेक्षित है।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु संख्या–14 : मिशन के अन्तर्गत मिशन को सुचारु रुप से संचालित किये जाने हेतु राज्य एवं शहर स्तर पर लिपिक सह कम्प्यूटर आपरेटर एवं सहायक लेखाकार, लेखा लिपिक सह कम्प्यूटर आपरेटर आदि पदों पर आऊट–सोर्स एजेन्सी के माध्यम से तैनाती के संबंध अनुमोदन।

समिति द्वारा अवलोकन किया गया तथा संज्ञान लिया गया एवं प्रश्नगत प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

1. शासनादेश संख्या–446/2015/1159/69–1–2015–14(104)/2013 दिनांक 27.05.2015 द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका के अन्तर्गत राज्य और शहर स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञों एवं सामुदायिक आयोजकों के पदों पर आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से तैनाती की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
2. मिशन के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के चयनित 82 शहरों में कार्यालय सपोर्ट हेतु राज्य स्तर एवं चयनित सभी शहरों में लेखालिपिक, सह कम्प्यूटर आपरेटर आदि की निम्नानुसार व्यवहारिक आवश्यकता है :–

क्र. सं.	स्तर	पद	संख्या	मानदेय (रूपये में)	शैक्षिक अहर्ता एवं अनुभव
1	राज्य स्तर पर	स्टेनो	01	20,000.00	स्नातक के साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी आशुलिपि में 80 एवं 100 शब्द प्रतिमिनट की गति तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण में 30 व 40 शब्द प्रतिमिनट की गति की दक्षता एवं सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों में कम से कम 05 वर्षों का कार्यानुभव।
		लिपिक–सह	08	15,000.00	इण्टरमीडिएट \ के

		कम्प्यूटर आपरेटर			साथ–साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयेक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी.सी.सी." प्रमाण–पत्र अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी टंकण में क्रमशः कम से कम 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति की अनिवार्य अर्हता।
		सहायक लेखाकार	02	20,000.00	स्नातक (वाणिज्य) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी सहित कम्प्यूटर में "ओ" लेवल डिप्लोमा की अनिवार्य अर्हता तथा समान कार्य का 03 वर्ष का अनुभव वाले अभ्यर्थी को वरीयता।
		मल्टीटास्किंग कार्यकर्ता	03	8,000.00	जूनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण
2	शहर स्तर पर	लेखालिपिक–सह कम्प्यूटर आपरेटर	82	15,000.00	स्नातक (वाणिज्य) या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी सहित कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी.सी.सी." प्रमाण–पत्र अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी टंकण में क्रमशः कम से कम 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति की अनिवार्य अर्हता।

3. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शहरी गरीबी निवारण हेतु एक अत्यन्त महात्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें एम0आई0एस0 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का वृहद स्तर पर फीडिंग आदि का ऑनलाइन एवं आफलाइन कार्य शहर एवं राज्य स्तर पर किया जाना है जिसके दृष्टिगत उक्त पदों की अत्यन्त आवश्यकता है।

4. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के गाइड लाइन में उल्लिखित विशेषज्ञों एवं सामुदायिक आयोजकों के परिश्रमिक पर होने वाला व्यय मिशन के क्रियान्वयन में होने वाले व्यय का अधिकतम 12 प्रतिशत अंश तक इस मद में व्यय किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त पदों पर व्यय भी इसी मद से किया जायेगा। उक्त पदों पर आउट–सोर्स एजेन्सी के माध्यम से तैनाती प्रक्रियाधीन है।

5. मिशन गाइडलाइन के अनुसार विभिन्न स्तरों पर रखे जाने वाले विशेषज्ञों एवं सामुदायिक आयोजकों पर प्रावधानित 40 प्रतिशत का व्यय उनके यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, कार्यालय सपोर्ट जैसे कि लेखाकार, कम्प्यूटर आपरेटर, मल्टीटास्किंग कार्यकर्ता आदि पर व्यय किया जाना प्राविधानित है।

6. इस प्रकार उक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित पदों पर राज्य एवं शहर स्तर पर रखे जाने वाले कर्मियों का पारिश्रमिक मिशन के अन्तर्गत प्राविधानित 12 प्रतिशत धनराशि के अन्तर्गत विशेषज्ञों आदि के पारिश्रमिक पर किये जाने वाले व्यय के सापेक्ष प्राविधानित 40

-13/

प्रतिशत की धनराशि से किया जायेगा। इस मद हेतु किसी प्रकार के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। 7. तदनुसार उक्त प्रस्तर–2, 3, 4 और 6 पर समिति का अनुमोदन अपेक्षित है।	
उक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष की अनुमति से एन0यू0एल0एम0 योजनान्तर्गत सामुदायिक आयोजकों को देय मानदेय पर विचार किया गया। विचार–विमर्श में यह पाया गया कि मिशन के गाइड लाईन के अनुसार सामुदायिक आयोजकों को प्रतिमाह रू0 10000/– मानदेय दिया जाना निर्धारित है, किन्तु उक्त प्रतिमाह रू0 10000/– में से ही सेवा कर की भी कटौती कर ली जाती है। फलस्वरूप सामुदायिक आयोजकों को निर्धारित मानदेय से कम मानदेय प्राप्त हो रहा है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार सामुदायिक आयोजकों को देय मानदेय से सेवा कर की कटौती नहीं की जानी है, बल्कि सेवा कर का भुगतान अलग से किया जाना है। इस प्रकार सामुदायिक आयोजकों को रू0 10000/– प्रतिमाह मानदेय दिया जाना है। उक्त प्रस्ताव पर समिति का अनुमोदन अपेक्षित है।	समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

संलग्नक–यथोक्त।

08/3/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यकम अनुभाग।
संख्याः329/69–1–2016–14(165)/2014
लखनऊ : दिनांक :05 मार्च, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त सचिव, (यू0पी0ए0 डिवीजन) आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, एन0बी0ओ0 बिल्डिंग, नई दिल्ली।
2. मुख्य स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ।
7. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
9. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उ0प्र0।
14. निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उ0प्र0।

15. श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।
16. निदेशक उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।
17. मिशन निदेशक, राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा), उ0प्र0।
18. श्री के0 के0 माथुर, मुख्य प्रबन्धक, (SLBC) बैंक ऑफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, लखनऊ।
19. सहायक महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक।
20. क्षेत्रीय प्रबन्धक, आर0बी0आई0, गोमती नगर, लखनऊ।
21. उपाध्यक्ष, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन।
22. श्री तारिख खान, सचिव, नामित सदस्य स्वयंसेवी संस्था, फीड–लखनऊ।
23. श्रीमती प्रभा देवी, अध्यक्षा, सिद्धविनायक, स्वयं सहायता समूह, लखनऊ।
24. सहायक वेबमास्टर, सूडा को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
25. गार्ड फाइल।

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अर्न्तगत

मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक

दिनांक : 05.02.2016 समय : 04:45 बजे से 05:15 बजे स्थान : प्रथम तल, मुख्य सचिव सभाकक्ष

उपस्थिति प्रपत्र

क्र. स.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	विभाग	मोबाईल	ई–मेल	हस्ताक्षर
	4 शैलेन्द्र कुमार सिंह	निदेशक–सूडा	8573038383		[signature]
	जे.पी. सिंह संयुक्त सचिव	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	9454413085		[signature]
	Bal Krishn Tripathi	Spl. Secy (Food & civil supply)	9450091175		[signature]
	Ms. Bhawna Srivastava	Spl. Sec. Rural Dev. Govt of U.P.			[signature]

क्र. स.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	विभाग	मोबाईल	ई–मेल	हस्ताक्षर
	ए० के० राय, महाप्रबन्धक	सी०एण्डडी०एस० उ० प्र० जल निगम	9450430033		[signature]
	पद्माकर कौशल परियोजना प्रबन्धक	सी० एण्ड डी० एस० उ०प्र० जल निगम	9450434257		[signature]
	गोविन्द राजू NS	वि० स० बेसिक शिक्षा	9451068100		[signature]
	एच० पी० सिंह	वि० स० ग्रामीण रोजगार	9454413747		[signature]
	Dr. M. R. Malik	DG Family Welfare	9454455530		[signature]
	योगेश कुमार	श्रम विभाग	9415813860.		[signature]
	वी० के० एल० श्रीवास्तव विशेष सचिव	वित्त	9415134473		[signature]
	ए० के० पाण्डेय विशेष सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	9454411452		[signature]
	जे० के० श्रीवास्तव	मुख्य अभियन्ता PWD.	9415083728		[signature]

क्र. स.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	विभाग	मोबाईल	ई–मेल	हस्ताक्षर
	A K Singh Joint commissioner.	UPSRL	9415755991	aksingh.0258@gmail.com	[signature]
	Arvind Singh. Special Secretary	P.W.D.	9454410692		[signature]
	Mohd. Tariq Khan	FEED	9838201020	way2feed@gmail.com	
	A.K.Sharma	Lead Distt Manager	9936832480	lucknow.leadbank@bankofindia.co.in	[signature]
	Shri Sanjay Kr. Verma Asstt. General Manager	SLBC Deptt. Bank of Baroda	9565333387	slbc.up@bankofbaroda.com	[signature]
	K.K. Mathur Chief Manager	—do—	9415058283	—do—	[signature]